(वाद सं0–7869/2017)

08.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, मधुबनी जिलान्तर्गत अनुमंडल अस्पताल, झंझारपुर में परिवादी, राकेश कुमार साहु, के पुत्र को अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक द्वारा बिना परिवादी के पुत्र को देखे व छुए कम्पॉउण्डर द्वारा दवा दिलवाने में लापरवाही करने से हुई मृत्यु से संबंधित है।

उपरोक्त पर सिविल सर्जन, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। सिविल सर्जन, मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार दिनांक–14.07.2017 को 03:30AM में परिवादी अपने पुत्र मुकुन्द राज को लेकर ईलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल, झंझारपुर आये। उस समय ड्यूटी में तैनात डॉ0 रमन पासवान, शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा आकस्मिक पंजी एवं इन्डोर में अंकित कर विधिवत् इलाज किया गया। चिकित्सक द्वारा पूछ–ताछ में मरीज, मुकुन्द राज द्वारा बताया गया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तत्पश्चात् चिकित्सक द्वारा जांचोंपरान्त कुछ दवा दी गयी, लेकिन दवा से कोई अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण चिकित्सक द्वारा 03:55AM में चिकित्सक को Metachlopramide ½ amp and Pantop ½ Vail देकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा रेफर कर दिया गया। मरीज के परिजन द्वारा मरीज को देकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा ले जाने के लिए एम्बुलेन्स की मांग की गई, लेकिन अस्पताल का एम्बुलेन्स उसी दिन रात्रि में खराब हो गया था जिस कारण उसे एम्बुलेन्स की सुविधा नहीं दी जा सकी। प्रतिवेदनानुसार चिकित्सक द्वारा मुकुन्द राज के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गयी है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा प्रथम दृष्टया युक्तिसंगत आधार पर सिविल सर्जन, मधुबनी के प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया।

राज्य आयोग द्वारा दिनांक–05.04.2022 को परिवादी के परिवाद–पत्र, उक्त पर सिविल सर्जन, मधुबनी के प्रतिवेदन व उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी के प्रत्युत्तर तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रसंगाधीन मामले की जांच कर निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया, जो उनके द्वारा दिनांक–26.06.2022 को राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपने जांच प्रतिवेदन में

निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि परिवादी द्वारा उसके मरीज पुत्र का चिकित्सा करनेवाले चिकित्सक, डॉ0 रमण पासवान, के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि उनकी ओर से परिवादी को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन उनकी ओर से डॉ0 रमण पासवान के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा अस्पताल द्वारा परिवादी को एम्बुलेन्स की सुविधा नहीं उपलब्ध कराने के तर्क को अस्वीकार किया गया है। जांच प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पुत्र की चिकित्सा में लापरवाही का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अब, जबकि जांच के क्रम में परिवादी के पुत्र की चिकित्सा में लापरवाही का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन माले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–72–72/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**निबंधक**